राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 40(25)ग्रावि/नरेगा/एन.जी.ओ.पत्रा./2010 जयपुर, दिनांकः

13 OCT 2010

परिपत्र

1. प्रस्तावना :–

राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (एमपॉवर) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की सहायता से जोधपुर सम्भाग के छः जिलों की निर्धनतम एक–एक पंचायत समिति में संचालित की जा रही है। परियोजना अवधि दिसम्बर 2014 तक है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना संचालन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जोधपुर में राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं संबंधित जिलों के पंचायत समिति स्तर पर निम्नानुसार ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई कार्यालयों की स्थापना की गई है एवं संबंधित पंचायत समिति में एमपॉवर परियोजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं (FNGO) का चयन किया गया है :–

क्र स	जिला	पं० स० का नाम	चयनित गैर सरकारी संस्था का नाम
1	पाली	बाली	अम्बुजा सीमेन्ट फाउण्डेशन
			सेल्फ रिलाईन्ट ईनिशिएटिवस थ्रू जोइन्ट एक्शन (SRIJAN)
2	जैसलमेर	सांकडा	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (GRAVIS)
3	जालोर	सांचौर	गौरव नवयुवक समाज सेवा संस्थान (GNSS)
			इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेन्ट को–ऑपरेटीव लिमिटेड (IFFDC)
			इण्डियन इन्सटीटयूट ऑफ रुरल डवलपमेन्ट (IIRD)
			सेल्फ रिलाईन्ट ईनिशिएटिवस थ्रू जोइन्ट एक्शन (SRIJAN)
4	बाडमेर	बायतु	स्टूडेन्टस रिलीफ सोसायटी (SR society)
			मोरुका चेरिटेबल ट्रस्ट (BCT)
			सोसायटी टु अपलिफ्ट रुलर इकोनोमी (SURE)

PTO

			ग्राम विकास नवयुवक मण्डल लापोडिया (GVNML)
5	जोधपुर	बाप	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (GRAVIS)
			उरमूल सीमान्त समिति बज्जू (URMUL)
6	सिरोही	आबूरोड	प्रोफेशनल एसीसटेन्स फोर डवलपमेन्ट एक्शन (PRADAN)

उक्त प्रबंधन इकाईयों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का परियोजना में स्वीकृत पदों पर विशेष रूप से चयन कर प्रतिनियुक्ति से पद्स्थापन किया गया हैं।

परियोजना अन्तर्गत सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनके क्षमतावर्धन पश्चात् उन्हे आजीविका के विभिन्न साधन उपलब्ध करवाकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सहायता की जायेगी।

परियोजना की कुल लागत 415 करोड रुपये है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) 124 करोड़ रू, सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) द्वारा 13 करोड रू, बैक द्वारा ऋण स्वरुप 180 करोड रु एवं राज्य सरकार द्वारा 87.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

2. उद्देश्य :—

2.1 राज्य सरकार द्वारा 87.50 करोड़ रुपये के लिए बजट प्रावधान नहीं करते हुयें, संचालित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, बी. आर. जी. एफ आदि के कन्वर्जेन्स के माध्यम से उक्त राशि का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस राशि का उपयोग विशेष कर महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत एमपॉवर परियोजना के द्वारा बी. पी.एल परिवारों के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक विकास कार्यो का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव तैयार करवाकर अन्तर धनराशि उपलब्ध करवाना है। इन कार्यो के महात्मा गांधी नरेगा में गैर अनुमत व्यय यथा प्रशिक्षण, मशीनरी उपयोग, कार्य पूर्णता पश्चात् सृजित परिसम्पतियो का रखरखाव, लाभार्थी की आजीविका सम्बन्धी सामग्री आपूर्ति आदि का व्यय MPOWER के द्वारा वहन किया जायेगा।

2.2 बीपीएल परिवारों के उत्थान हेतु आधारभूत कार्यों में नवाचार व गुणवत्ता को बढ़ावा देना।

2.3 बीपीएल परिवारों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत कर उनकी क्षमतावर्धन कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना।

2.4 कार्यो को आजीविका से जोड़ने एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्षमतावर्धन एवं अन्य ऐसे संसाधन जो कि महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत

नहीं किये जा सकते हो, की स्वीकृति/व्यय एमपॉवर के आधारभूत संरचना मद (CIDF) से गेप फिलिंग करना ।

3. कार्यकारी एजेन्सी :–

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 2 (छ) के तहत् राज्य में रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वन के संबंध में प्रस्तावित कार्य केन्द्र/राज्य सरकार के विभागो, पंचायती राज संस्थाए, स्थानीय निकाय एवं केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत गैर सरकारी संगठनों को कार्यकारी अभिकरण के रुप में नियुक्त किया जा सकता है।

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.10 को MPOWER परियोजना की राज्य स्तरीय परियोजना संचालन समिति की बैठक मे लिये गये निर्णयानुसार उक्त परियोजना के तहत कन्वर्जेन्स के माध्यम से महात्मागांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत निर्माण (Works relating to Infrastructure) कार्य करवाये जाने हेतु परियोजनान्तर्गत विभाग द्वारा चयनित बारह गैर सरकारी संगंठनों (Facilitating NGO's) (संलग्न सूची अनुसार) को सम्बन्धित ब्लॉक में कार्यकारी एजेन्सी बनाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अधिकृत किया जाता है।

4. कार्यों में चयन की प्राथमिकतायें :–

एमपॉवर एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना दोनो ही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पिछड़े परिवारों को रोजगाार के संसाधन उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ करते हुए उन्हे विकास की मुख्यधारा मे लाना है। एमपॉवर के अन्तर्गत ग्रामीण बी.पी.एल. महिलाओ को प्राथमिकता दी गई है। अतः क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताओं के आधार पर एमपॉवर एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं के मध्य कन्वरजेन्स के माध्यम से निम्न कार्य करवाये जा सकेंगे:–

4.1 सामुदायिक आधारभूत विकास कार्यो के अन्तर्गत ऐसे कार्य करवाये जावे, जिनके द्वारा क्षेत्र में बार–बार पड़ने वाले अकाल की विभीषिका कम हो तथा जल संरक्षण सहित बीपीएल परिवारों की वर्तमान आजीविका के साधनों में इजाफा होने के साथ–साथ उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस घटक के अन्तर्गत मुख्य रूप से चरागाह (गोचर) भूमि विकास कार्य, संयुक्त वन प्रबन्धन कार्य (JFPMC), जल संरक्षण ढाँचे का निर्माण एवं आमदनी वृद्धि हेतु फलदार पौधारोपण कार्य,

PTO

नाली निर्माण, डेयरी दुग्ध संग्रहण केन्द्र इत्यादि कार्य कराये जा सकते है।

4.2 बीपीएल परिवारों की आजीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु उनकी स्वामित्व की भूमि पर व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक्ट 2005 की अनुसूची एक में उल्लेखित वर्ग (Category IV) के कार्य उनकी कृषि भूमि पर भू–जल संरक्षण कार्य एवं बागवानी, पौधारोपण, खड़ीन, का कार्य कराये जा सकते हैं।

4.3 अन्य कार्य जिसे सरकार द्वारा समय–समय पर व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम में अधिसूचित किया गया हो।

5. **कन्वरजेन्स हेतु आवश्यक निर्देश :–**

5.1 सामुदायिक कार्यों हेतु सार्वजनिक भूमि उपलब्ध होनी चाहिये।

5.2 व्यक्तिगत कार्यों हेतु लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची 2002 मे दर्ज होना चाहिए।

5.3 लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये।

5.4 लाभार्थी महात्मा गांधी नरेगा एक्ट 2005 के अन्तर्गत जोब कार्ड होल्डर होना चाहिये एवं उसे स्वयं को भी स्वीकृत कार्य में कार्य करना है ।

5.5 प्रत्येक कार्य में श्रम व सामग्री की राशि का अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

5.6 एमपॉवर परियोजना के माध्यम से कियान्वित किये जाने वाले कार्यो का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्षमतावर्धन एवं अन्य ऐसे संसाधन जो कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत नही किये जा सकते हो, का व्यय एमपॉवर परियोजना मद से देय होगा।

5.7 प्रत्येक व्यक्तिगत लाभ के कार्य की परियोजना का नामजद अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिये तथा यह जिले की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल होने चाहिये।

5.8 कार्य का क्रियान्वयन लाभार्थियों द्वारा स्वयं ही किया जाना चाहिये। किसी भी ठेकेदार एवं किसी प्रकार की मशीन द्वारा कार्य नही किया जाना चाहिये।

5.9 ग्राम सभा से कार्य का सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक रूप से करवाया जाना चाहिये।

6. तकनीकी शर्तें :–

6.1 सभी प्रकार के कार्यों की स्वीकृति हेतु आवश्यक तकनीकी एस्टीमेट व डिजाइन इत्यादि किसी तकनीकी विशेषज्ञ के द्वारा ही बनायें जाने चाहिये तथा ये महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होने चाहिए।

7. व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्य वार्षिक योजना में शामिल करने की प्रकिया :

7.1 जो व्यक्तिगत लाभार्थी अपनी जमीन पर एमपॉवर के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के साथ कन्वरजेन्स से कार्य करवाना चाहते हैं, उन्हें कार्य हेतु मॉंगपत्र तथा अपनी जमीन पर कार्य कराने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित, प्रपत्र (1) में सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक को दिया जाना चाहिए तथा उसकी एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा को दी जानी चाहिये।

7.2 भूमि के रिकार्ड की पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रति साथ में संलग्न होनी चाहिये। साथ ही भूमि का पटवारी द्वारा प्रमाणित नक्शा भी संलग्न होना चाहिए।

7.3 ग्राम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिये।

8. कार्य स्वीकृति :–

8.1 राज्य सरकार द्वारा विशेष चयनित सम्बंधित (Facilitating Non Governmental Organisation) FNGO का तकनीकी विशेषज्ञ कार्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमे डिजाइन और एस्टीमेट महात्मा गांधी नरेगा की बी.एस.आर. के अनुसार रखे जायेंगे।

8.2 सामुदायिक विकास कार्य तथा व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु कार्य दोनों ही प्रकार के कार्य FNGO द्वारा ग्राम विकास योजना में सम्मिलित कर ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात् ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई को प्रस्तुत किये जायेगे जिसका तकनीकी आकंलन ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

8.3 चयनित सभी प्रस्ताव सम्बन्धित पंचायत समिति को महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना मे शामिल करने हेतु ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा कार्यकम अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगें।

8.4 वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति देते समय बीपीएमयू के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति उक्त अनुमोदित FNGO को कियान्वयन एजेन्सी बनाते हुए योजना के प्रावधानों के तहत् नियमानुसार जारी की जायेगी।

P T O

प्रबन्धन इकाई में पदस्थापित तकनीकी स्टाफ अथवा सम्बन्धित विभागों के सक्षम स्तर से जारी की जायेगी।

9. **कार्यों का कियान्वयन :–**

9.1 कार्य स्वीकृति पश्चात् सामुदायिक विकास के कार्य FNGO के माध्यम से ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई के निरीक्षण (Supervision) में सम्पादित करायें जायेगे।

9.2 प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग मस्टररोल कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा द्वारा ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई को महात्मा गांधी नरेगा की मार्गदर्शिका के अनुसार जारी किये जायेगे। तत्पश्चात ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई मस्टररोल को सम्बन्धित FNGO को जारी करेगी।

9.3 कार्य के लिये आवश्यक मेट व श्रमिक ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता से उपलब्ध करवायें जायेगे। व्यक्तिगत लाभ के कार्य में स्वयं लाभार्थी का नाम भी Muster Roll में अंकित होगा ।

9.4 कार्य का मूल्यांकन ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित लाभार्थी / श्रमिक / मेट की उपस्थिति में कर एम.बी. में दर्ज किया जायेगा।

9.5 महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्य स्थल पर बोर्ड लगाया जायेगा जिसमें कार्य का नाम, लाभार्थियों के नाम, इसकी लागत इत्यादि का विवरण लिखा जायेगा। (परिशिष्ट 3 अनुसार)

9.6 कार्य स्थल पर छाया, पानी, दवाईयां, पालना इत्यादि की समस्त सुविधाएँ महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशोंनुसार कियान्वयन एजेन्सी (ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9.7 कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर संबंधित P.O. MGNREGA को प्रस्तुत किया जायेगा।

9.8 भूमि सुधार के समस्त कार्य, सिंचाई सुविधायें तथा उद्यानिकी पौधारोपण को सम्बन्धित पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद लिखा जायेगा।

9.9 व्यक्तिगत लाभार्थियों के किये गये प्रत्येक कार्य पर व्यय का परिसम्पति एवं संचयी व्यय रजिस्टर F12 में कार्यवार पखवाड़े वार ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर संधारण कर अधतन (Update) किया जायेगा ।

9.10 कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य का फोटो संधारित किया जायें।

9.11 एमपॉवर द्वारा कार्य की सम्पूर्ण ICT Based tracking and monitor system को सुनिश्चित किया जायेगा।

9.12 कार्यों के सम्पादन में पूर्ण पारदर्शिता एवं समुदाय की स्वच्छ भागीदारी एमपॉवर परियोजना द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9.13 कार्यों के कियान्वयन के समय महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के मूलभूत प्रावधानो की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

10. राशि हेतु निर्देश :–

10.1 श्रमिको की राशि का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुरूप सीधे ही उनके खाते में जमा करवाया जायेगा। इससे मस्टररोल महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुरूप ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा पारित किये जायेंगे। पारितशुदा मस्टररोल P.O. MGNREGA को प्रस्तुत किये जायेंगे जिसके भुगतान की निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए P.O. MGNREGA द्वारा श्रमिकों के खातो मे सीधा भुगतान किया जायेगा।

10.2 सामग्री की राशि महात्मा गांधी नरेगा द्वारा ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। कय की गई सामग्री के बिलों के भुगतान से पूर्व ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई को संबंधित बिलों की कार्यकम अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन एम.आई.एस. एन्ट्री फीडिंग करवानी आवश्यक होगी ।

10.3 ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा सामग्री की खरीद महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशानुसार एवं नियमानुसार की जायेगी।

10.4 गतिविधि पूर्ण होने पर ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यकम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जायेगा। (परिशिष्ट 2 अनुसार)

10.5 कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण–पत्र नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ट 17 में निर्धारित प्रारूप में ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा कार्यकम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। (परिशिष्ट 4 अनुसार)

PTO

11. रिकार्ड संधारण एवं कार्य निरीक्षण :–

11.1 महात्मा गांधी नरेगा की मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यक समस्त पंजिकायें ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं एन.जी.ओ. स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम विकास समिति स्तर पर आवश्यक रूप से संधारित किये जायेंगे।

11.2 कार्यों का निरीक्षण ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई के तकनीकी विशेषज्ञ एवं PO MGNREGA/ ADPC द्वारा किया जायेगा। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के नॉर्मस के अनुसार ब्लॉक परियोजना प्रबन्धक द्वारा समय–समय पर कार्यों का निरीक्षण किया जाकर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी । जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी नरेगा के निर्देशानुसार अर्द्धवार्षिक सामाजिक अंकेक्षण के समय समस्त सूचनायें ग्राम पंचायत को अग्रिम उपलब्ध करानी होगी।

प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर
4. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) जोधपुर।
9. राज्य परियोजना निर्देशक,एमपीवर, जोधपुर ।
10. विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी(ईजीएस) पंचायत समिति, बाप, बायतु, सायोर, बाली, आबूरोड, सांकड़ा ।
11. परियोजना प्रबन्धक ब्लॉक परियोजना प्रबन्धन इकाई एमपीवर, बाप, बायतु, सायोर, बाली, आबूरोड, सांकड़ा।
12. रक्षित पत्रावली।

√परि० निदे० एवं पदेन उप सचिव
(EGS)

परिशिष्ट–1

आवेदन – पत्र

1 नाम _____

2 पिता / पति का नाम श्री _____

3 जाति _____

4 वर्ग _____ एसटी / एससी / बीपीएल चयनित कमांक _____

5 गांव _____ ग्राम पंचायत _____

पंचायत समिति _____ जिला _____

कृषि भूमि का खसरा नम्बर _____ रकबा _____ बिघा ___

कार्य का लाभी जो करवाना चाहता हो _____

_____

पासपोर्ट साईज का फोटो ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित

मै _____ घोषणा करता / करती हूं कि उपरोक्त समस्त सूचनाऐं सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नही गया है तथा मै राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान में उक्त कार्य मेरी कृषि भूमि पर करवाने हेतु सहमत हूं। जहां वर्तमान मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। मै भूमि की जमाबन्दी, गिरदावरी एवं ट्रेस मेप जहा कार्य कररवाना है संलग्न करके पेश कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री _____ पिता / पति श्री _____ गांव _____ की कृषि भूमि खसरा नम्बर _____ रकबा _____ पर प्रार्थी का मालिकाना हक एवं कब्जा है एवं वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है तथा प्रार्थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान में व्यक्तिगत लाभार्थ कार्य हेतु पात्रता रखता है।

सरपंच	ग्राम सेवक	पटवारी
ग्राम पंचायत _____	ग्राम पंचायत _____	ग्राम पंचायत _____
हस्ताक्षर मय सील	हस्ताक्षर मय सील	हस्ताक्षर मय सील

परियोजना प्रबन्धक (एमपॉवर .....) की अभिशंषा

उपरोक्त तथ्यों कं आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ पिता / पति _____ जाति _____ निवासी _____ प्रार्थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, राजस्थान की व्यक्तिगत लाभार्थ कार्य की पात्रता रखता है एवं वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अतः इनको व्यक्तिगत लाभ हेतु कार्य स्वीकृत करने की अभिशंषा प्रदान की जाती है।

परियोजना प्रबन्धक

एमपॉवर – .....

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान
व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

भाग–अ कार्यकारी संस्था के द्वारा पूर्ति की जाएगी क्रमांक0..... दि0.....

कार्यकारी संस्था .....

1. कार्य का नाम .....
2. ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... पं.स. .....
3. कार्यकारी एजेन्सी.....
4. वित्तीय स्वीकृति स. ..... दिनांक .....
5. कार्य प्रारम्भ दिनांक .....
6. तिथि, जिस तक व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है .....

क्र. सं.	विवरण	नरेगा			अन्य योजना (नाम)			कुल		
		श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग
7.	वित्तीय स्वीकृति									
8.	वास्तविक व्यय (कार्य प्रारम्भ से बिन्दु संख्या–6 में अंकित दिनांक तक) (संचयी व्यय)									

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का क्रियान्वयन महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

दिनांक :

(कार्यकारी संस्था के सक्षम अधिकारी)
पदनाम एवं कार्यालय का पता

भाग–ब – मार्गदर्शिका के पैरा 10.2 में उल्लेखित सक्षम अभियंता द्वारा दिया जावेगा

उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच कर प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का सम्पादन स्वीकृत तकनीके एवं महानरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। माप पुस्तिका सं. ..... पृष्ठ सं. ..... कार्य का मूल्यांकन एवं अनुमत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	नरेगा			अन्य योजना (नाम)			कुल		
		श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग
9.	मूल्यांकन राशि (कार्य प्रारम्भ से बिन्दु संख्या–6 में अंकित दिनांक तक) (संचयी मूल्यांकन)									
10.	अनुमत राशि (वास्तविक व्यय एवं मूल्यांकन राशि में से जो भी कम हो) (संचयी अनुमत राशि)									

उपरोक्त इन्द्राज परिशिष्ट 29 (ब) में रजिस्टर के पृष्ठ सं. ..... क्र.सं. ..... पर कर लिया गया है। इस कार्य पर उपरोक्तानुसार अनुमत राशि के समायोजन की अभिशंषा की जाती है।

दिनांक :

(सक्षम तकनीकी अधिकारी)
नाम एवं पदनाम

परिशिष्ठ–3

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान

ग्राम पंचायत ———————— में वर्ष ———— में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कराये गये व्यक्तिगत लाभ के कार्यों का विवरण
(त्रैमासिक अपडेट किया जावे)

क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	पिता / पति का नाम	जॉब कार्ड नम्बर	वर्ग (SC/ST/ BPL) अन्य	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्य पर सृजित कुल रोजगार दिनों की संख्या	भुगतान की गई कुल राशि	
							श्रम	सामग्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान
कार्य का पूर्णता एवं व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

भाग–अ कार्यकारी संस्था के द्वारा पूर्ति की जाएगी कमांक0..... दि0.....

कार्यकारी संस्था .....

1. कार्य का नाम .....
2. ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... पं.स. .....
3. कार्यकारी एजेन्सी.....
4. वित्तीय स्वीकृति स. ..... दिनांक .....
5. कार्य प्रारम्भ दिनांक ..... कार्य पूर्ण होने की दिनांक .....
6. परिसम्पत्ति एवं संचयी व्यय रजिस्टर में दर्ज का विवरण– पृष्ठ सं. ..... क्र.सं. .....

क्र. सं.	विवरण	नरेगा			अन्य योजना (नाम)			कुल		
		श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग
7.	वित्तीय स्वीकृति									
8.	वास्तविक व्यय (कार्य प्रारम्भ से बिन्दु संख्या–6 मे अंकित दिनांक तक) (संचयी व्यय)									

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का क्रियान्वयन महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कार्य पूर्ण होने का दिनांकित फोटो इस प्रपत्र के पीछे चस्पा है।

दिनांक :

(कार्यकारी संस्था के सक्षम अधिकारी)
पदनाम एवं कार्यालय का पता

भाग–ब – मार्गदर्शिका के पैरा 10.2 में उल्लेखित सक्षम अभियंता द्वारा दिया जावेगा

उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच कर प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का सम्पादन स्वीकृत तकमीने एवं महानरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। माप पुस्तिका सं. ..... पृष्ठ सं. ..... कार्य का मूल्यांकन एवं अनुमत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र सं.	विवरण	नरेगा			अन्य योजना (नाम)			कुल		
		श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग
9.	मूल्यांकन राशि (कार्य प्रारम्भ से कार्य पूर्ण होने की दिनांक तक) (संचयी मूल्यांकन)									
10.	अनुमत राशि (वास्तविक व्यय एवं मूल्याकंन राशि में से जो भी कम हो) (संचयी अनुमत राशि)									

उपरोक्त इन्द्राज परिशिष्ट 29 (ब) रजिस्टर के पृष्ठ सं. ..... क्र.सं. ..... पर कर लिया गया है। इस कार्य पर उपरोक्तानुसार अनुमत राशि के समायोजन की अनिशंषा की जाती है।

दिनांक :

(सक्षम तकनीकी अधिकारी)
नाम एवं पदनाम